न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 61 / 2025

1. रामप्यारी पत्नि सोहनराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... वादीनी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. नेमीचन्द पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. महेश पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. मोटाराम पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. सम्पतराम पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ़

... प्रतिवादीगण .....

दावा अन्तर्गत धारा 136 व 88 राज0
काश्तकारी अधिनियम के राजस्व रेकार्ड
में संशोधन व दुरूस्ती बाबत्
निर्णय

दिनांक :– 28-8-25

उपस्थित :–

1. राजकुमार ढाका एडवोकेट वास्ते वादीनी
2. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 01
3. आमीन शेख एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण सं0 2 ता 05
4. प्रतिवादी संख्या 06 की एकपक्षिय कार्यवाही

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी का रोही ग्राम रेड़ा तहसील बीदासर में खेत खसरा संख्या 105 तादादी 2.7948 हेक्टेयर, खसरा संख्या 132 तादादी 4.4263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 तादादी 0.8220 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 तादादी 2.3776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 275 तादादी 5.0965 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333 तादादी 2.9087 हैक्टेयर कुल तादादी 18.4259 हैक्टेयर में वादीनी का नाम नानी पत्नि सोहनलाल जाति ब्राह्मण अंकित है। उक्त वादगत खेत रोही ग्राम रेड़ा में वादीनी का नाम राजस्व कर्मचारीयों कि गफलत व लापरवाही के कारण वादीनी का नाम नानी पत्नि सोहनलाल अंकित हुआ है जबकी वादीनी का सही नाम राम प्यारी पत्नि सोहनराम है। वादीनी के आधार कार्ड संख्या 907939468779 जारीशुद्वा है जिसमें वादीनी का नाम राम प्यारी पत्नि सोहनराम सही है जबीक राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम पैरा संख्या 01 में वर्णितानुसार नानी पत्नि सोहनलाल अंकित चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में वादगत खेत की खातेदारी में वादीनी का नाम गलत अंकित होने के कारण सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रखी है तथा वादीनी को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वादीनी को

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

लगातार 2 पर

अपूर्तिय क्षति हो रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह वादगत खेत की खातेदारी में अपना गलत नाम को संशोधन करवाकर अपना सही नाम राम प्यारी पत्नि सोहनराम अंकित करवाये जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी वाद रेकार्ड दुरूस्ती का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम रेड़ा में स्थित है इसलिए वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्‌जी के न्यायालय को प्राप्त है।वादीनी का रेकार्ड दुरूस्ती का दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है आदि आदि वादीनी का नाम सही किए जाने का निवेदन किया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 कि ओर से श्री आमीन शेख एडवोकेट ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया व इकबाल जवाब पेश किया गया जो शामील पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 06 की तामिल विधिवत होने के उपरांत भी वह न्यायालय में अनुपस्थित रहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार राज से प्रकरण में जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

हनमें पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादीनी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें वादीनी ने अपने दावे के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, सामाजिक पेंशन, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड आदि पेश किए है जो शामिल पत्रावली है। उक्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम रामप्यारी पत्नि सोहनराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके रोही रेड़ा तहसील बीदासर चूरू में वादीनी का नाम नानी पत्नि सोहनलाल अंकित है जिसको वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम रेड़ा के खाता संख्या नया 222, पुराना 191, खेत खसरा संख्या 105 तादादी 2.7948 हेक्टेयर, खसरा संख्या 132 तादादी 4.4263 हैक्टेयर, खसरा संख्या 163 तादादी 0.8220 हैक्टेयर, खसरा संख्या 186 तादादी 2.3776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 275 तादादी 5.0965 हैक्टेयर, खसरा संख्या 333 तादादी 2.9087 हैक्टेयर कुल तादादी 18.4259 हैक्टेयर में वादीनी का नाम नानी पत्नि सोहनलाल को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादीनी का सही नाम रामप्यारी पत्नि सोहनराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 28-8-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर